

क्रमांक : आर.एन.सी./लेखा/जीएसटी/2023/1114

दिनांक : 28/06/2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा दिनांक 01-07-2023 से निम्नांकित आय मदों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी कौंसिल द्वारा वसूल किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	आय मद	जीएसटी दर
1.	Affiliation Fees	18 प्रतिशत
2.	Recognition Fees	18 प्रतिशत
3.	Inspection Fees	18 प्रतिशत
4.	Duplicate Certificate Fees	18 प्रतिशत
5.	Duplicate Diploma Fees	18 प्रतिशत
6.	Duplicate Registration Fees	18 प्रतिशत
7.	Duplicate All Documents Fees (Except Duplicate Mark sheet Fees)	18 प्रतिशत

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है।

(डॉ० शशिकान्त शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

दिनांक : 28/06/2023

क्रमांक : आर.एन.सी./लेखा/जीएसटी/2023/1115-1119

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
- 2- प्रोग्रामर (अनुबन्ध), आरएनसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्तानुसार ऑनलाईन प्रोग्रामिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- मैसर्स वेब स्क्वायर्स साफ्टवेयर प्रा० लि०, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्तानुसार ऑनलाईन प्रोग्रामिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी अधिकारी परीक्षा/शैक्षणिक/रजिस्ट्रेशन/संस्थापन शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 4- रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर